DIRECTORATE OF TRAINING & TECHNICAL EDUCATION
MUNI MAYA RAM MARG, PITAMPURA, DELHI-110 034.
O/o FAA/JOINT DIRECTOR (TTE)

(Ph. No.27321024, 27327771, Email:- rtitte.delhi@gov.in)

No. F.2 (16)/2022/RTI/Appeal No-1496/ 514-18 **Dated:** 13/05/22

Name of applicant	Date of Application	Reply given by PIO	Date of Appeal	Appeal No.	ID No.
Sh. Kishan Chand	18/08/2021	02/09/2021	13/09/2021	1496	5117

ORDER

Heard on 9th May 2022 at 1500 Hrs.

Present: - **PIO- Present**
Appellant – Absent

Considering the submissions of Appellant and perusal of documents available on record, it is observed that information furnished by the PIO is in order.

Further, he was not present to explain the grounds for instant Appeal.

Therefore, no interference is required at this stage under RTI Act, 2005.

Appeal disposed off, accordingly. If applicant is not satisfied with this direction, he may file second appeal before Hon'ble CIC, August Kranti Bhawan Bhikaji Cama Place, Delhi-67 within the stipulated time.

(Dr. O P Shukla)
FAA/JOINT DIRECTOR (TTE)

Sh. Kishan Chand
H.No. M29 Upper Ground Floor,
Back Side, Hari Nagar,
Delhi-110064

Copy for information and necessary action to:-

1. DD (Vigilance), DTTE, Delhi.
2. A.O. (E-II), DTTE, Delhi.
3. PIO (DTTE), Delhi.
4. The System Analyst, DTTE with the request for upload the same on the Departmental Website. (Copy of application filed by the appellant to the F.A.A. DTTE as first appeal is also enclosed.).

Appeal No - 1496
dt. 13/09/21

दिनांकः–09 / 09 / 2021

सेवा में,

श्री मान प्रथम अपीलिय अधिकारी जी,
प्रशिक्षण एंवम् तकनीकी शिक्षा विभाग,
मुनि माया राम मार्ग, पीतम पुरा,
दिल्ली – 110088

विषयः– **अपील**

1	आवेदक का नाम	**किशन चन्द**
2	पता	एम.–29, अपर ग्राउण्ड फलोर, पिछली साईड, हरि नगर, नई दिल्ली–110064
3	**सूचनाओं का विवरण**	**फर्जी चार्जशीट के सम्बन्ध में।**
	सम्बन्धित विभाग	प्रशिक्षण एंवम् तकनीकी शिक्षा विभाग, मुनि माया राम मार्ग, पीतम पुरा, दिल्ली – 110088
	माँगी गई सूचनाओं का विवरण	
i	आवश्यक सूचनाओ का विवरण	1. विभाग DTTE के सर्तकता अधिकारी जी द्वारा मुझे ID No.-5104 पत्र संख्या F.3(1289)/RTI/Vig./DTTE/2021/985 दिनांक 25/08/21 के अन्दर मुझे जवाब दिया गया हैं की मेरी अभी अनुशासनात्मक जॉच चल रही है। इसलिये आपको कोई भी सूचना नही दी जा सकती जो की CIC आदेश संख्या No. CIC/SG/A/2009/002109/5233 तथा Appeal No. CIC/SG/A/2009/002109 का सीधा सीधा उल्लंघन है। जबकि यह ना तो थर्ड पार्टी सूचना है। और ना ही इस सूचना से देश की गरीमा को कोई ठेस पहूँचती है। **प्रति सलंग्न है।** इसका पूरा ब्यौरा मुझे फाईल नोटिंग सहित दिया जाये। (सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर पूछा है कि क्या किसी कर्मचारी के खिलाफ़ अनुशासनात्मक कार्रवाई सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के क्लाउज (j), धारा 8(1) के तहत निजी सूचना है। भारतीय खाद्य निगम ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें उसने कहा था कि इस तरह की सूचना निजी सूचना नहीं है और भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों के बारे में जनता को बताया जानाचाहिए। न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की पीठ ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए इस बारे में नोटिस जारी किया है।) 2. विभाग DTTE के सर्तकता अधिकारी जी द्वारा मुझे ID No.-5114 पत्र संख्या F.3(1289)/RTI/Vig./DTTE/2021/1026 दिनांक 31/08/21 के अन्दर मुझे जवाब दिया गया हैं की मेरी अभी अनुशासनात्मक जॉच चल रही है। इसलिये आपको कोई भी सूचना नही दी जा सकती जो की CIC आदेश संख्या No. CIC/SG/A/2009/002109/5233 तथा Appeal No. CIC/SG/A/2009/002109 का सीधा सीधा उल्लंघन है। **प्रति सलंग्न है।** (सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर पूछा है कि क्या किसी कर्मचारी के खिलाफ़ अनुशासनात्मक कार्रवाई सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के क्लाउज (j), धारा 8(1) के तहत निजी सूचना है। भारतीय खाद्य निगम ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें उसने कहा था कि इस तरह की सूचना निजी सूचना नहीं है और भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों के बारे में जनता को बताया जानाचाहिए। न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की पीठ ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए इस बारे में नोटिस जारी किया है।) 3. विभाग DTTE के सर्तकता अधिकारी जी द्वारा मुझे ID No.-5117 पत्र संख्या F.3(1289)/RTI/Vig./DTTE/2021/1025 दिनांक 31/08/21 के अन्दर मुझे जवाब दिया गया हैं की मेरी अभी अनुशासनात्मक जॉच चल रही है। इसलिये आपको कोई भी सूचना नही दी जा सकती जो की CIC आदेश संख्या No. CIC/SG/A/2009/002109/5233 तथा Appeal No. CIC/SG/A/2009/002109 का सीधा सीधा उल्लंघन है। **प्रति सलंग्न है।** (सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर पूछा है कि क्या किसी कर्मचारी के खिलाफ़ अनुशासनात्मक कार्रवाई सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के क्लाउज (j), धारा 8(1) के तहत निजी सूचना है। भारतीय खाद्य निगम ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें उसने कहा था कि इस तरह की सूचना निजी सूचना नहीं है और भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों के बारे में जनता को बताया जानाचाहिए। न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की पीठ ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए इस बारे में नोटिस जारी किया है।)
ii	समय अवधि	जनवरी 2019 से अब तक।
iii	अन्य विवरण	**आरोप पत्र के सम्बन्ध में जनसूचना अधिकारी जी द्वारा गुमराह किये जाने पर।**

दिनांकः–09 / 09 / 2021

Received dt 13/09/21

भवदीय,
किशन चन्द
एम.–29, अपर ग्राउण्ड फलोर, पिछली साईड,
हरि नगर, नई दिल्ली–110064

6/6